

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(पंचायती राज)**

क्रमांक:-एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2018/ 3541

जयपुर,दिनांक 01.08.2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद-बारा।

**विषय:-** ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क.स.	सर्व श्री /श्रीमति /सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प./पं0स0)	कहाँ को (ग्रा.प./पं0 स0)
1	ऋषिराज मीना	पं0स0 छीपाबडौद,जिला बारा से स्थानान्तगाधीन पं0स0 शाहबाद जिला बारा (विभागीय पत्रांक 3293 दिनांक 20.07.2018 के द्वारा)	निरस्त कर,पंचायत समिति छबडा, जिला बारा
2	राजेन्द्र कुमार मीणा	पं0स0 छबडा,जिला बारा से स्थानान्तगाधीन पं0स0 शाहबाद जिला बारा(विभागीय पत्रांक 3293 दिनांक 20.07.2018 के द्वारा)	निरस्त कर,पंचायत समिति छीपाबडौद, जिला बारा
3	राजेन्द्र मीना	पं0स0 छबडा,जिला बारा से स्थानान्तगाधीन पं0स0 किशनगंज जिला बारा(विभागीय पत्रांक 3293 दिनांक 20.07.2018 के द्वारा)	निरस्त कर,पंचायत समिति छीपाबडौद, जिला बारा

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

**नोट:-**

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें ।

  
**(राजेन्द्र शेखर मक्कड)**  
**अतिरिक्त आयुक्त एवं**  
**संयुक्त शासन सचिव**

**प्रतिलिपि:-** ए.सी.पी मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है ।

  
**अतिरिक्त आयुक्त एवं**